राजस्व अपील संख्या : 21/2025
उनवान : कानाराम पारंगी बनाम पोकरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 21/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2025/112

अपीलाण्ट :–

कानाराम पारंगी पुत्र लालाराम जाति मेघवाल निवासी सादडी तहसील देसूरी जिला पाली राज. हाल निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. पोकरी पत्नी जसाराम जाति मेघवाल निवासी धणी, तहसील बाली, जिला पाली, राज.
2. मगनी पुत्री जेठाराम पत्नी छोगाराम जाति मेघवाल निवासी धणी तहसील बाली जिला पाली राज.
3. तहसीलदार बाली जिला पाली राज.
4. पटवारी, पटवार हल्का, धणी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 46/2025 पोकरी बनाम कानाराम अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 को निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश गहलोत
रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमानसिंह चौहान।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णय:–

दिनांक: 24.12.2025

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 46/2025 पोकरी बनाम कानाराम अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में तहसीलदार बाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 को निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्रीमती पोकरी द्वारा जनसुनवाई कार्यक्रम धणी तहसील बाली में एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम धणी में स्थित खसरा नम्बर 94 एवं 515 रकबा क्रमश 6.94 हैक्टेयर, 0.9700 हैक्टेयर आयी हुई स्थित है, उपरोक्त खसरा नम्बर में रेस्पोडेण्ट संख्या दो मगनी पुत्री जेठाराम का 1/10 हिस्सा आता है। मगनी पुत्री जेठाराम रिश्ते में उनकी ननद लगती है। मगनी देवी ने दिनांक 14.07.2022 को उनके नाम से हकतार्क करवाया, उपरोक्त दोनो खसरा नम्बरों का हकतर्कनामा अनुसार नामान्तरकरण बाबत पटवारी हल्का धणी द्वारा मना किया जा रहा है, अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि हकतर्कनामा अनुसार नामान्तरकरण दायर किया जाये।

प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना पत्र पर पटवारी हल्का से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया, इसके पश्चात प्रार्थना पत्र पर प्रकरण को धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत दर्ज कर रेस्पोडेण्ट संख्या तीन ने दिनांक 04.03.2025 को रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के आधार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 21/2025
उनवान : कानाराम पारंगी बनाम पोकरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

पर अप्रार्थी संख्या चार को नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी को दिनांक 24.04.2025 को जानकारी होने पर अपीलार्थी ने पत्रावली की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया एवं नकले प्राप्त की। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या तीन द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.04.2025 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील बिना देरी के निम्न आधारो पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

1. यह कि अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अपास्त योग्य है क्योंकि अपीलार्थी की पीठ पीछे आदेश दिनांक 24.04.2025 को पारित किया गया है।
2. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्रीमती मगनी ने ग्राम धणी तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 94 एवं 515 रकबा क्रमश 6.9400 हैक्टेयर, 0.9700 हैक्टेयर में स्वयं को निहित सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक हकूक खास मुख्तयार चम्पालाल पुत्र पुखराजजी मेघवाल निवासी खुडाला के जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.07.2020 को अपीलार्थी को बेचान हस्तान्तरण कर कब्जा सुपूर्द कर दिया था, जो रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.07.2020 को उप पंजीयक कार्यालय बाली की पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 184 में पृष्ठ संख्या 62 क्रम संख्या 202003153100668 पर को पंजीबद्ध किया गया है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.07.2020 आज भी प्रभावी है यानि की किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त घोषित नहीं किया गया है।
3. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्रीमती मगनी ने ग्राम धणी तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 94 एवं 515 रकबा क्रमश 6.9400 हैक्टेयर, 0.9700 हैक्टेयर में स्वयं को निहित सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक हकूक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.07.2020 को बेचान हस्तान्तरण कर कब्जा सुपूर्द कर दिया था। वक्त खरीद दिनांक 01.07.2020 से अपीलार्थी का वादग्रस्त कृषि भूमि कब्जा चला आ रहा है। इस प्रकार हकतर्कनामा के अनुसरण में रेस्पोडेण्ट संख्या एक ने रेस्पोडेण्ट संख्या दो को विवादित कृषि भूमि का कभी भी कब्जा सुपूर्द नहीं किया। इस प्रकार कब्जा हस्तान्तरण के अभाव में रेस्पोडेण्ट संख्या तीन द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही अवैध,शुन्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

4. यह कि विवादित कृषि भूमि के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट संख्या एक एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो ने सांठगांठ कर, अपीलार्थी को पक्षकार बनाये बिना उपखण्ड अधिकारी बाली के न्यायालय से राजस्व अपील संख्या 03/2020 बअनवान पोकरी बनाम मगनी वगैरा अपील अन्तर्गत 75 भू राजस्व अधिनियम में दिनांक 30.05.2022 को आदेश पारित करवाया है, जिनकी अपीलार्थी को जानकारी होने पर अपीलार्थी ने माननीय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर के न्यायालयमें राजस्व अपील संख्या 275/2020 कानाराम बनाम पोकरी वगैरा प्रस्तुत कर रखी है, जिसमे रेस्पोडेण्ट संख्या एक पोकरी एवं रेस्पोडेण्ट संख्या दो मगनी को समन प्राप्त हो चुके है, प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त कर रखा है। इस प्रकार रेस्पोडेण्ट्स को उपरोक्त अपील की जानकारी भली भाँति है, मात्र राजस्व अपील में स्थगन आदेश नहीं होने से रेस्पोडेण्ट संख्या तीन ने दिनांक 04.03.2025 को आदेश पारित कर दिया है, जो आदेश निरस्त योग्य है।
5. यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या एक श्रीमती मगनी ने ग्राम धणी तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 94 एवं 515 रकबा क्रमशः 6.94 हैक्टेयर, एवं 0.9700 हैक्टेयर में स्वयं को निहित सहखातेदारी के सम्पूर्ण हक हकूक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 01.07.2020 को बेचान हस्तान्तरण कर कब्जा सुपूर्द कर दिया था। वक्त खरीद दिनांक 01.07.2020 से अपीलार्थी का वादग्रस्त कृषि भूमि कब्जा चला

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 21/2025
उनवान : कानाराम पारंगी बनाम पोकरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

आ रहा है इसके बावजुद अपीलार्थी को मात्र धोखा देने के आशय से रेस्पोडेण्ट संख्या दो मगनी देवी ने दिनांक 14.07.2022 को रेस्पोडेण्ट संख्या एक पोकरी के पक्ष में रजिस्टर्ड हकतर्क करवाया है जो तमाम कार्यवाही शून्य है।

6. यह कि कानूनी प्रावधान के तहत एक सहखातेदार के द्वारा कृषि भूमि में निहित सहखातेदारी का हस्तान्तरण हकतर्कनामा के जरिये नहीं किया जा सकता है, जिससे भी उक्त आदेश निरस्त योग्य है।
7. यह कि जैर अपील आलोच्य दिनांक 04.03.2025 की जानकारी अपीलार्थी को सर्वप्रथम दिनांक 24.04.2025 को हुई है। जिससे अपीलार्थी को जानकारी होते ही अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत है। अपील के साथ धारा 05 भारतीय मर्यादा अधिनियम 1963 का आवेदन सलंग्न है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थी की उक्त अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेण्ट संख्या तीन के द्वारा पारित जैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2025 को निरस्त करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली के प्रकरण संख्या 46/2025 का मूल रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

वक्त बहस काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने अधनीस्थ न्यायालय के जैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2025 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.04.2025 को प्रतिलिपि प्राप्ति पर होना जाहिर करते हुए अपील के सलंग्न प्रस्तुत म्याद प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अवधिशुमार घोषित करने का निवेदन कर अपील को अवधिशुमार घोषित करने का निवेदन किया। साथ ही, अपील मीमों में अंकित तथ्यों को ही बहस के बिन्दु मानने का निवेदन किया।

इसके प्रत्युतर में काबिल अधिवक्ता अप्रार्थीपक्ष ने बहस के दौरान हस्तगत अपील को अवधिबाधित होने तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 135 (2) में निर्णीत प्रकरण के विरुद्ध अपील का श्रवणाधिकार निदेशक, भू अभिलेख को होने का कथन करते हुए विचाराधीन अपील को खारिज करने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के मूल रिकॉर्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्वप्रथम, अपीलाण्ट द्वारा अपील के सहवर्ती प्रस्तुत मियाद प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में अप्रार्थीपक्ष ऐसा कोई प्रतिकूल दस्तावेजी साक्ष्य या तथ्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है जिसके आधार पर कोई प्रतिकूल उपधारणा कायम की जा सके। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा देरी का उपशमन करते हुए विचाराधीन अपील को अवधिशुमार घोषित किया जाता है।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाली द्वारा प्रकरण संख्या 46/2025 बअनवान 'पोकरी बनाम कानाराम' में प्रदत्त निर्णय दिनांक 04.03.2025 के विरुद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के प्रावधानान्तर्गत न्यायालय हाजा में चुनौति प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रेषित प्रकरण संख्या 46/2025 के मूल रिकॉर्ड के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दिनांक 04.10.2024 को दर्ज कर दिनांक 04.03.2025 को निर्णीत किया गया। अपीलार्थी ने भी अपील मीमों के पद संख्या दो में यह अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 135(2) में आलोच्य प्रकरण को निर्णीत किया है। अर्थात् यह स्वीकृत स्थिति (Admitted Position) है कि अधीनस्थ न्यायालय

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व अपील संख्या : 21/2025

उनवान : कानाराम पारंगी बनाम पोकरी व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार बाली द्वारा ज़ैर अपील आलोच्य आदेश दिनांक 04.03.2025 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित किया गया है।

सर्वप्रथम यह प्रश्न निर्धारण योग्य है कि "क्या उक्त धारा 135 (2) के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है अथवा नहीं?"

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 की उपधारा (2) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा विवादित नामान्तरकरण से सम्बन्धित प्रकरणों को निर्णीत किया जाता है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण बअनवान 'सतपाल बनाम मुनीराम RRT 2016(1) Page No. 727 में यह स्पष्ट रुप से प्रतिपादित किया है कि उक्त धारा 135 (2) में निर्णीत प्रकरणों के विरुद्ध अपील का श्रवणाधिकार निदेशक भू–अभिलेख अर्थात संभागीय आयुक्त न्यायालय को है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में न्यायालय हाजा को हस्तगत हस्तगत अपील सुनने का श्रवणाधिकार प्राप्त नहीं है।

यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि उभयपक्षकारों के मध्य इसी विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त (गत प्रकरण संख्या 275/2022) में विचाराधीन भी है, उभयपक्षकार हस्तगत प्रकरण के सम्बन्ध में उक्त न्यायालय में चाराजोही हेतु स्वतन्त्र है।

अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में विचाराधीन अपील अस्वीकार करते हुए सक्षम न्यायालय में प्रस्तुतिकरण हेतु अपील याचीपक्ष को लौटाने के निर्देश दिए जाते है।

निर्णय आज दिनांक **24.12.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली